प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.10.2025

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे से भरे 03 प्लास्टिक के कट्टे बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 13.10.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बेचने वाला 01 अभियुक्त आयुष पुत्र सतेन्द्र कुमार निवासी ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद हाल पता डी-3, 206 भारत सिटी थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को राजपुर चौराहा के पास से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे से भरे 03 प्लास्टिक के कट्टे सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त बाहर से सस्ते दामों में पटाखे खरीदकर मुनाफा कमाने के लिए महगें दामों में बिक्री करता है। इसी क्रम में आज अभियुक्त उपरोक्त पटाखे बिक्री करने के लिए स्कार्पियों गाड़ी से यहां पर खड़ा था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आयुष पुत्र सतेन्द्र कुमार निवासी ग्राम राजपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद हाल पता डी-3, 206 भारत सिटी थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे से भरे 03 प्लास्टिक के कट्टे बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 04 वारण्टी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- थाना शालीमार गार्ड़न पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 12/13.10.2025 को 04 वारण्टी क्रमशः 1. मनीष पुत्र सूरजपाल प्रेमी निवासी म0न0 2413 गली न0 13 प्रधान वाली गली अम्बेडकर कालोनी गोकुलपुर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष 2.साजिद पुत्र चाँद निवासी वरलाम नगर इंटर कालेज का सामने लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 3.अजय ठाकुर पुत्र राजपाल ठाकुर निवासी म0न0 742 राजीव कॉलोनी

मोहननगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष व 4. राजकुमार राणा पुत्र निरंजन सिह निवासी शाप नं0 56 रेलवे रोड साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मनीष पुत्र सूरजपाल प्रेमी निवासी म0न0 2413 गली न0 13 प्रधान वाली गली अम्वेडकर कालोनी गोकुलपुर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष ।
2. साजिद पुत्र चाँद निवासी वरलाम नगर इंटर कालेज का सामने लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष ।
3. अजय ठाकुर पुत्र राजपाल ठाकुर निवासी म0न0 742 राजीव कॉलोनी मोहननगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।
4. राजकुमार राणा पुत्र निरंजन सिह निवासी शाप नं0 56 रेलवे रोड साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त मनीष पुत्र सूरजपाल प्रेमी उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्ड़न पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त साजिद पुत्र चाँद उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्ड़न पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त अजय ठाकुर पुत्र राजपाल ठाकुर उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्ड़न पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार राणा पुत्र निरंजन सिह उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्ड़न पर जालसाजी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्ड़न पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए गए विशेष अभियान के अन्तर्गत एक माह में कुल 52 गुमशुदा व्यक्तियों को बरामद कर उनके परिवार से मिलाया गया।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विगत माह **15 सितम्बर 2025 से 13 अक्टूबर 2025** तक कमिश्नरेट के समस्त थानों में गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों की बरामदगी हेतु **विशेष अभियान** चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य गुमशुदा व्यक्तियों को शीघ्रता से खोजकर उनके परिजनों से मिलाना तथा समाज में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को सुदृढ़ करना है। इस अभियान के दौरान सम्बन्धित थानों के अधिकारी/कर्मचारीगणों की साहयता से 09 नाबालिक (बालक एवं बालिकाएं), 29 महिलाओं सहित कुल 52 गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर नियमानुसार उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियान के अन्तर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए सम्बन्धित अधिकारीगणों एवं थाना प्रभारियों को गुमशुदा व्यक्तिओं के प्रकरणोंमेंतत्परता से समीक्षा करने तथा नियमानुसारप्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस टीमों द्वारा अभियान के दौरान तकनीकी संसाधनों जैसे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आदि का प्रभावी उपयोग किया गया तथा स्थानीय सूचना तंत्र, बीट पुलिसिंग और सामुदायिक सहयोग को अभियान में शामिल किया गया। जिस कारण गुमशुदा व्यक्तियों की त्वरित एवं सकुशल बरामदगी में अपेक्षित सफलता प्राप्त हुई है।

अभियान के अन्तर्गत बरामद किये गये कुल व्यक्तियों का जोनवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	**जोन**	**बरामद किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या**
1	नगर	16
2	ट्रांस हिण्डन	13
3	ग्रामीण	23
कमिश्नरेट गाजियाबाद		**52**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया गया यह विशेष अभियान न केवल गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी में सफल रहा, बल्कि समाज में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस प्रकार की कार्यवाही**अनवरत रूप से जारी रहेगी**, जिससे भविष्य में भी गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र पहचान एवं बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

गुमशुदगी से सम्बन्धित प्रकरणों में सामुदायिक सहभागिता जिसमें स्थानीय नागरिक एवं महत्वपूर्णइकाइयों के सहयोग से त्वरित एवं सुलभ सफलता प्राप्त होती है तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग जैसेमोबाइल ऐप्सऔर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी सहायक है। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार के प्रकरणों में त्वरित एवं बिना किसी झिझक के स्थानीय थानों में सूचना दें तथा पुलिस का सहयोग करें।

स्टोरी नं0 -01

बरामद -गुमशुदा अनस पुत्र गफ्फार उम्र 16 वर्ष नि0 ग्राम कुसलिया थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद

सम्बन्धित मु0अ0सं0 293/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात थाना मसूरी कमि0 गा0बाद ।

वादी श्री गफ्फार द्वारा अपने पुत्र अनस उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 10.09.2025 को बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध मे सूचना थाना मसूरी पर दी गयी । सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुये बरामदगी के सार्थक प्रयास शुरु किये गये जिसके क्रम में गुमशुदा अनस के फोटो सहित गस्ती तलाश बस अड्डा , रेलवे स्टेशन आस पास के भीड भाडे वाले स्थानो पर चस्पा किये गये तथा साथ ही गुमशुदा अनस के पारीवारिक एंव सम्बन्धियों के फोन नम्बर के फेसबुक अकाउन्ट ,वाटसूएप अकाउन्ट आदि का स्थानीय पुलिस द्वारा परिवेक्षण किया गया तो गुमशुदा अनस उपरोक्त द्वारा दिनांक 18.9.2025 को रात्रि में एक अज्ञात फोन नम्बर से अपना आधार कार्ड माँगा गया

जिसकी सर्विलांस द्वारा लोकेशन ज्ञात की गयी तो लोकेशन मुम्बई बाँद्रा की आयी जिस पर स्थानीय मुम्बई पुलिस एवं गुमशुदा अनस के मुम्बई में रहने वाले रिस्तेदारो को उक्त लोकेशन का विवरण देकर वहाँ पहुचने को बताया तो दिनांक 20.09.2025 को उक्त फोन के लोकेशन के आधार पर गुमशुदा अनस को मुम्बई से बरामद किया गया तथा परिजनो को सकुशल सुपुर्द किया गया जिससे आमजन एवं अनस के परिजनो द्वारा पुलिस के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुये अपार खुशी का इजहार किया गया।

स्टोरी नं0 -02

बरामदा कु0 कीर्ति पुत्री श्री रामवीर सिंह नि0 ई 312 बुध बाजार चौक लोनी देहात थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

सम्बन्धित मु0अ0सं0 143/24 धारा 363 भादवि ।

वादी श्री रामवीर जो आर्थिक रुप से कमजोर एंव रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है के द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री कीर्ति उम्र करीब 14 वर्ष जो मानसिक रुप से अस्वस्थ है । दिनांक 19.3.2024 को अपने घर से कही चली गयी सूचना पर तत्काल गुमशुदा की बरादमगी के प्रयास शुरु किये गये जिसके क्रम में गुमशुदा कीर्ति के फोटो सहित गस्ती तलाश बस अड्डा , रेलवे स्टेशन आस पास के भीड भाडे वाले स्थानो पर चस्पा किये गये तथा साथी गुमशुदा कीर्ति के पारीवारिक एंव सम्बन्धियों के फोन नम्बर के फेसबुक अकाउन्ट ,वाटसएप अकाउन्ट आदि का स्थानीय पुलिस द्वारा परिवेक्षण किया गया तो गुमशुदा कीर्ति उपरोक्त द्वारा दिनांक 07.10.2025 को कीर्त के सम्बन्ध में एक अज्ञात फोन नम्बर से कीर्ति के बदायूँ कस्बा जरीफनगर में एक बस में होने की सूचना प्राप्त हुयी जिस पर गुमशुदा कीर्ति के परिजन एवं थाना एएचटी कमि0 गाजियाबाद द्वारा गुमशुदा कीर्ति को सकुशल बरामद किया गया और बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही दिनांक 08.10.2025 को परिजनो को सकुशल सुपुर्द किया गया जिससे आमजन एवं कीर्ति के परिजनो द्वारा पुलिस के प्रति अपार खुशी का इजहार किया गया।

स्टोरी नं0 -03

बरामद- गुमशुदा रिया पुत्री सतवीर उम्र करीब 13 वर्ष निवासी सुभाष नगर घूकना थाना नंदग्राम कमि0 गाजियाबाद।

दिनांक 22.09.2025 को शाम करीब 18.00 बजे सतवीर द्वारा चौकी सिहानी गेट थाना नंदग्राम पर सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष जो मानसिक विक्षिप्त है शाम 5 बजे घर से कही चली गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय चौकी इंचार्ज द्वारा मौके पर पहुँच कर गुमशुदा के बारे मे जानकारी की गयी तो परिजनो से गुमशुदा

के पहचान हेतु फोटो प्राप्त कर सूचना को स्थानीय एसपीओ वाट्सग्रुप एवं अन्य वाटस्एप ग्रुप मे प्रसारित किया गया तथा सर्विलांस को भी सूचित करते हुये बरामदगी के सार्थक प्रयास किये गये जिस पर मात्र 04 घंटे की अवधि के दौरान ही गुमशुदा को बरामद कर तमामी औपचारिकता पूर्ण करते हुये परिजनो को सुपुर्द किया गया। जिसकी स्थानीय नागरिक द्वारा पुलिस के प्रति अपार खुशी का इजहार किया गया।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के करीब 50 किलोग्राम विद्युत तार बरामद ।

दिनांक 12.10.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.विरेन्द्र पुत्र रामी निवासी मनी राम कॉलोनी जारचा रोड दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 45 वर्ष 2. मौ0 रिहान पुत्र मौ0 अख्तर निवासी बैंक ऑफ इण्डिया के पास महरौली थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के करीब 50 किलोग्राम विद्युत तार बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि ये बिजली के तार हम दोनों व हमारे एक अन्य साथी राजू उर्फ काले निवासी लालकुंआ ने मिलकर करीब एक माह पहले कुशलिया कनौजा के जंगल की बिजली की लाइनों को काटकर चोरी किये थे। अभियुक्तगण ने बताया कि हम तीनों ने पूर्व में भी मुरादनगर क्षेत्र के बहुत सारे गांव के जंगलो से बिजली के तार काटकर चोरी किये हैं। सितम्बर के महीने में नवीपुर-काकडा , ग्राम नेकपुर-खौराजपुर के जंगल में व अगस्त के महीने में कनौजा-कुशलिया के जंगल में बिजली के तार काट कर चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.विरेन्द्र पुत्र रामी निवासी मनी राम कॉलोनी जारचा रोड दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 45 वर्ष।
2. मौ0 रिहान पुत्र मौ0 अख्तर निवासी बैंक ऑफ इण्डिया के पास महरौली थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

राजू उर्फ काले निवासी लालकुंआ गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के करीब 50 किलोग्राम विद्युत तार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध विद्युत थाना गाजियाबाद में तार चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना मुरादनगर पर चोरी के तार बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 12.10.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मौहम्मद शकील पुत्र मौहम्मद अहसान निवासी ग्राम धसौली रौहटा रोड थाना कंकरखेडा मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर धारा 317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने रोहणी कोर्ट नं0 1बी न्यू दिल्ली से चोरी की थी। मैं इस मोटरसाइकिल को बिना नम्बर प्लेट लगाये बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त मौहम्मद शकील पुत्र मौहम्मद अहसान निवासी ग्राम धसौली रौहटा रोड थाना कंकरखेडा मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मुरादनगर पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 2,10,000/- की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 13.10.2025 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री अनुराग बंसल निवासी Gold Tower -11 GH7 थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 2,10,000 /- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री अनुराग बंसल के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 13.10.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 2,10,000 /- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।